कार्यालय खुर्जा विकास प्राधिकरण, खुर्जा।

पत्रांक : ०८ /वि०प्रा०/2013–14 दिनांक 22/2/2013

अमरजीत शर्मा सुमन लता ओम सिटी कॉन्वेन्ट बालिका डिग्री कॉलिज खुर्जा बुलन्दशहर
द्वारा श्रीमती सुमन शर्मा अम्बा देवी पुत्री श्री मनोहर लाल शर्मा,
निवासी–सराय नसरूल्ला, खुर्जा।

कृपया आपके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या–24/11 दिनांक 01.03.11 जो कि खसरा नं०–983,
खुर्जा बहार पुरी, तह0 खुर्जा पर महाविद्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया था, के संदर्भ में
सूचित है कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दि0 17.12.12 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी

जलापूर्ति, निकासी, सीवरेज, विद्युत आदि का प्रबन्ध आवेदक को स्वयं करना होगा।
सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में दी गयी शर्तों एवं समय–समय पर प्राप्त शासनादेशों का
अनुपालन सुनिश्चित करना होगा
मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है। समस्त निर्माण विकास कार्य निर्धारित अवधि
में ही पूर्ण करना होगा।
आवेदक द्वारा भूखण्ड के चारों ओर नियमानुसार पेड़ लगाने होगें।
मानचित्र की इस स्वीकृति से भूमि सम्बन्धी किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय या अन्य किसी
व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है, भूमि के स्वामित्व के विवाद
की स्थिति में नक्शा पारित कराने वाला ही उत्तरदायी होगा। भू–स्वामित्व अथवा अन्य किसी वाद की
स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, भवन केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेगी कि जब वह खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि
सड़क की ओर बढ़ावा न रखें।
निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों तथा नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
मध्यम वोल्टेज विद्युत लाइन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर/क्षैतिज क्रमशः
2.50 मी0 एवं 1.20 मी0 और हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की
न्यूनतम दूरी उर्ध्वाधर/क्षैतिज क्रमशः 3.70 मी0 एवं 2.00 मीटर होगी।
स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय जांच की
जा सके।
निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्य पूरा होने का प्रमाण–पत्र विकास
प्राधिकरण द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
भवन का निर्माण किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रेक्चरल इंजीनियर की देख–रेख में पूर्ण रूप से भूकम्परोधी एवं
सुरक्षित रूप से कराना होगा।
मार्ग विस्तार हेतु मानचित्र में दर्शायी गयी भूमि को छोड़ना होगा एवं एवं मार्ग विस्तार से प्रभावित भूमि
प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।
इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा यदि कोई शुल्क आरोपित किया जाता
है तो पक्ष को बिना आपत्ति के जमा करना होगा।
मानचित्र में दर्शायी गयी एवं उपर्युक्त किसी भी शर्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः
निरस्त समझा जायेगा।

22/2/13

अधिशासी अभियन्ता
खुर्जा विकास प्राधिकरण
खुर्जा

16-07-2017 10:53